पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड								
सीआईएन एल65910डीएल1986जीओआई024862								
भाग I: दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अंकेक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण								
(` करोड़ में)								
विवरण		समाप्त होने वाली तिमाही के लिए स्टैंडअलोन			समाप्त होने वाले वर्ष के लिए स्टैंडअलोन		समेकित रूप से समाप्त वाले वर्ष के लिए	
		31-03-2017	31-12-2016	31-03-2016	31-03-2017	31-03-2016	31-03-2017	31-03-2016
		(अंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
I.	प्रचालन से होने वाली आय							
	ब्याज़	5,513.77	6,827.36	6,608.14	26,270.08	27,079.44	26,333.11	27,099.83
	परमर्श / सलाहकार सेवाएं		0.00	0.00	0.00	0.00	181.44	262.52
	प्रचालन से होने वाली आय	20.48	0.00	8.04	129.81	118.38	457.21	136.21
	अन्य प्रचालन आय	137.82	139.33	88.81	316.34	275.83	318.10	281.65
II.	अन्य आय	125.00	52.91	82.00	302.34	90.66	321.43	105.56
III.	कुल आय(I + II)	5,797.07	7,063.08	6,786.99	27,018.57	27,564.31	27,611.29	27,885.77
IV.	व्यय							
	वित्तीय लागत	4,099.44	4,061.68	4,179.69	16,432.69	16,473.81	16,767.64	16,645.38
	बॉड जारी करने का व्यय	8.96	3.29	6.90	26.58	33.44	26.58	33.44
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय						133.24	106.63

		34.43	28.90	21.43	114.97	90.37		
	प्रावधान	4,479.33	120.14	537.29	5,101.08	1,609.32	5,112.33	1,610.16
	निवेश के मूल्य में गिरावट के लिए प्रावधान	19.51	0.00	56.07	(7.51)	96.26	(7.41)	96.26
	मूल्यह्रास और परिशोधन संबंधी व्यय	1.64	1.39	1.74	5.56	6.17	40.82	20.08
	सीएसआर व्यय	0.00	0.00	0.00	166.15	145.79	167.64	146.81
	अन्य खर्चे	16.60	27.73	14.06	67.79	50.62	105.29	61.97
	पूर्व अवधि आइटम (निबल)	0.39	0.65	0.03	1.47	(2.13)	1.47	(2.06)
	कुल खर्च	8,660.30	4,243.78	4,817.21	21,908.78	18,503.65	22,347.60	18,718.67
V.	आपवादिक और असाधारण मदों से पहले लाभ और कर (III-IV)	(2,863.23)	2,819.30	1,969.78	5,109.79	9,060.66	5,263.69	9,167.10
VI.	आपवादिक मदों	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII.	असाधारण मदों से पहले साधारण कार्यकलापों से लाभ (V-VI)	(2,863.23)	2,819.30	1,969.78	5,109.79	9,060.66	5,263.69	9,167.10
VIII.	असाधारण मदें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX.	कर पूर्व लाभ (VII-VIII)							

		(2,863.23)	2,819.30	1,969.78	5,109.79	9,060.66	5,263.69	9,167.10
X.	कर संबंधी व्यय							
	(1) चालू कर							
	चालू वर्ष	656.59	965.02	677.04	3,074.39	2,822.26	3,121.71	2,857.89
	पूर्ववर्ती वर्ष	13.03	(13.09)	12.54	(0.09)	12.11	(0.47)	12.11
	(2) आस्थगित कर देयता (+) / परिसम्पत्ति (-)	(123.36)	(82.54)	20.55	(90.90)	112.81	(93.65)	113.10
XI.	प्रचालन जारी रखने की अवधि के लिए लाभ (हानि) (IX-X)	-3,409.49	1,949.91	1,259.65	2,126.39	6,113.48	2,236.10	6,184.00
XII.	प्रत्येक ` 10/- अंकित मूल्य पर प्रति इक्विटी शेयर अर्जन							
	(1) आधारभूत (`)	(12.92)	7.39	4.77	8.05	23.16	8.47	23.43
	(2) तनुकृत (`)	(12.92)	7.39	4.77	8.05	23.16	8.47	23.43

नोट : -

1	दिनांक 31.03.201 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और उनकी दिनांक 29.05.2017 को आयोजित की गई संगत बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। ये वित्तीय परिणाम संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों अर्थात मैसर्स के. बी. चांदना एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और मैसर्स एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की गई सीमित समीक्षा के अध्यधीन हैं।

2	क. परिपरिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान:: कंपनी ने अपनी शर्तों को आरबीआई के "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित ढ़ंग से महत्वपूर्ण गैर-जमा राशि लेने वाली कंपनी और नीचे उल्लिखित विशिष्ट दिशा-निर्देशों के साथ पठित समय-समय पर यथासंशोधित जमा राशि लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016" में निहित आरबीआई की प्रूडेंशियल शर्तों के अनुरूप किया है : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 03.10.2016 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण संबंधी शर्तें : i. दिनांक 31.03.2017 को बकाया और 4 महीने या उससे अधिक के लिए अतिदेय ऋण परिसंपत्तिों (पट्टा परिपरिसंपत्ति को छोड़कर) को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और वर्ष के दौरान वर्गीकरण 5 महीनों या उससे अधिक के लिए अतिदेय के प्रचलित मानकों पर आधारित होता है, ii. दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार एनपीए जो 14 महीनों तक की अवधि के लिए अतिदेय है, को उप-मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और वर्ष के दौरान वर्गीकरण 16 महीनों से अधिक की अवधि के लिए एनपीए के प्रचलित मानदंडों पर आधारित है, और iii. दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार एनपीए जो 14 महीनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय है, को उप-मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और वर्ष के दौरान वर्गीकरण 16 महीनों से अधिक की अवधि के लिए एनपीए के प्रचलित मानदंडों पर आधारित है। (ख) पुनर्गठन संबंधी शर्तें : (i) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 11.06.2014 के पत्र के अनुसार, पारेषण और वितरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार सबंधी परियोजनाओं और हिमालय क्षेत्र में पनबिजली परियोजनाओं या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परियोजनाओं के लिए दिनांक 31.03.2017 तक एमओपी द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन संबंधी शर्तों के द्वारा विनियमित किया जाता है। तदनुसार, दिनांक 01.04.2017 से इन ऋणों में किए गए किसी भी भावी पुनर्गठन के लिए आरबीआई के पुनर्गठन संबंधी नियम लागू होंगे। इसके अलावा, आरबीआई ने अपने दिनांक 11.06.2014 के पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि उत्पादन कंपनियों को दिए गए नए परियोजना ऋण, जिन्हें दिनांक 01.04.2015 से पुनर्गठित किया गया है, के लिए प्रावधानीकरण की आवश्यकता 5% होगी और दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार सभी जनरेटिंग कंपनियों के लिए इस तरह के बकाया ऋणों के स्टॉक के लिए प्रावधान दिनांक 31.03.2015 से 2.75% के प्रावधान के साथ शुरू होगा और दिनांक 31.03.2018 तक 5% तक पहुंच जाएगा।

	(ii) जहां तक किए गए विभिन्न पत्राचार के आधार पर आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन संबंधी शर्तों को बदलने के लिए) का संबंध है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 11.04.2017 के पत्र में उल्लेख किया है कि सरकारी क्षेत्र खाते, अगर वित्तीय समापन के समय यथापरिकल्पित डीसीसीओ के भीतर प्रोजेक्ट ने व्यावसायिक परिचालन शुरू नहीं किया है (या पुनर्गठित अग्रिमों के लिए आरबीआई की शर्तों में दी गई स्वीकार्य थ्रेशोल्ड के भीतर संशोधित डीसीसीओ के अंदर) के मामले में दिनांक 31.03.2022 तक वर्गीकरण उधारकर्तावार के बजाय परियोजनावार किया जाता है। 2) क) कंपनी दिनांक 01.04.2015 (दिनांक 01.04.2015 से पहले, एमओपी, भारत सरकार की पुनर्गठन संबंधी शर्तों को लागू किया गया) से स्वीकृत किए गए नए उत्पादन ऋणों के संबंध में आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों को लागू करती आ रही है। ख) आरबीआई के दिनांक 11.04.2017 के पत्र की प्राप्ति के बाद, कंपनी ने शेष ऋणों (ऊपर दिए गए 2 क (ख) (i) में उल्लिखित ऋणों से इतर ऋण) के संबंध में आरबीआई की पुनर्गठन संबंधी शर्तों को अपनाया है । दिनांक 31.03.2015 से पहले स्वीकृत किए गए उत्पादन कंपनियों के ऋणों और जहां पुनर्गठन दिनांक 01.04.2015 किया गया है, के मामले में परिपरिसंपत्ति वर्गीकरण रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार परिणामी प्रावधान के साथ दिनांक 31.03.2017 को किया गया है। ख. क्रेडिट सांद्रता संबंधी शर्तें क्रेडिट सांद्रता संबंधी शर्तें के लिए आरबीआई ने अपने दिनांक 16.06.2016 के पत्र के माध्यम से दिनांक 31.03.2022 तक केंद्रीय / राज्य सरकार की संस्थाओं को एक्सपोज़र के संबंध में छूट को बढ़ा दिया है। इस प्रकार, कंपनी केंद्रीय / राज्य सरकार के निकायों के लिए एमओपी द्वारा स्वीकृत क्रेडिट सांद्रता संबंधी शर्तें का अनुपालन करती आ रही है।
3 (क)	दिनांक 31.03.2017 कोई अतिदेय के बिना नियमित रूप से चल रहे राज्य क्षेत्र को ऋण के संबंध में वर्ष के दौरान (एमओपी, भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई पुनर्गठन संबंधी शर्तों को ब दलने के लिए) भारतीय रिजर्व बैंक की पुनर्गठन संबंधी शर्तों को अपनाने के अनुक्रम में और लेखांकन नीति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप: क) कंपनी ने ` 35,994.70 करोड़ की मानक परिपरिसंपत्तियों को पुनर्गठित मानक परिपरिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया है। ऐसे ऋणों पर प्रावधान 0.35% से बढ़ाकर 4.25% कर दिया गया है। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2017 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में ` 1,403.79 करोड़ रुपए की कमी हुई है। ख) कंपनी ने दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार ` 8,284.47 करोड़ की बकाया राशि वाली दो ऋण की परिसंपत्तियों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया है,

	जिन्होंने मूल डीसीसीओ (नियमों के तहत अनुमति के अनुसार) 2/3/4 वर्ष के बाद दिनांक 31.03.2017 को या उससे पहले डीसीसीओ को प्राप्त किया था। वर्ष के दौरान, इन ऋणों पर प्राप्त ` 163.71 करोड़ की वसूल न की गई आय को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और ऐसे ऋणों पर ` 799.45 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2017 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में ` 963.16 करोड़ की कमी हुई है।  ग) कंपनी ने दिनांक 31.03.2017 को ` 4,157.28 करोड़ की बकाया राशि वाली तीन ऋण की परिपरिसंपत्तियों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया है, जो मूल डीसीसीओ (जैसा मानदंडों के तहत अनुमति दी गई है) की शुरुआत से 2/3/4 साल के भीतर दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष तक वाणिज्यिक ऑपरेशन प्रारंभ होने की तारीख (डीसीसीओ) का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई थीं। वर्ष के दौरान, इन ऋणों पर ` 103.04 करोड़ की वसूल न की गई आय को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और इस तरह के ऋणों पर` 401.18 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2017 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में ` 504.22 करोड़ की कमी हुई है।  घ) कंपनी ने दिनांक 31.03.2017 को ` 5,793.83 करोड़ की बकाया राशि वाली एक ऋण की परिपरिसंपत्तियों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसे वाणिज्यिक ऑपरेशन प्रारंभ होने की तारीख (डीसीसीओ) का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद में पुनर्गठित किया गया । दिनांक 31.03.2017 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान इस ऋण पर ` 142.03 करोड़ की वसूल न की गई आय को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और इस तरह के ऋण पर ` 333.14 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, ऋणकार्तावार परिसम्मपत्ति वर्गीकरण की शर्तों के अनुसार उसी ऋणकर्ता को दि गए अन्य ऋणों को भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अत: इस तरह के अन्य ऋणों पर ` 118.59 करोड़ की वसूल न की गई आय को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार ` 5,073.73 करोड़ की राशि वाले इस तरह के ऋणों पर ` 489.62 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, दिनांक 31.03.2017 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में ` 1083.38 करोड़ की कमी हुई है। इस प्रकार, उपर्युक्त पैरा (क) से (घ) के कारण दिनांक 31.03.2017 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में ` 3945.55 करोड़ की कमी हुई है।
3 (ख)	तद्नुसार उपर्युक्त (IV) में वर्णित व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्राधानों (उपर्युक्त 3(क) में किए गए उल्लेख को शामिल करते हुए) के विवरण निम्नानुसार हैं : (i) दिनांक 31.03.2027 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए गैर – निष्पादन परिसंपत्ति (एनपीए) पर क्रमश: ` 3,438.13 करोड़ और ` 3,913.63 करोड़ (संगत पिछली तिमाही और वर्ष में क्रमश: ` 641.70 करोड़ और ` 933.70 करोड़) का प्रावधान किया गया। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार सकल गैर – निष्पादन परिसंपत्ति (एनपीए) ` 30,718.61 करोड़ (दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार ` 7,520.21 करोड़) है। (ii) दिनांक 31.03.2027 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए मानक परिसंपत्तियों के लिए क्रमश: ` 119.57 करोड़ और ` 39.57 करोड़ (संगत पिछली तिमाही और वर्ष में क्रमश: ` 207.41 करोड़ और ` 110.85 करोड़) का प्रावधान किया गया है। (iii) दिनांक 31.03.2027 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों पर क्रमश: ` 1,160.76 करोड़ और ` 1,227.03 करोड़ (संगत पिछली तिमाही और वर्ष में क्रमश: ` 103.00 करोड़ और ` 564.77 करोड़) का प्रावधान किया गया। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार अर्हक पुनर्गठन /

	पुनर्अनुसूचियन / मोलभाव (आर / आर / आर) ऋणों की बकाया राशि निजी क्षेत्र के लिए ` 19,445.92 करोड़ और सरकारी क्षेत्र के लिए ` 35,994.70 करोड़ (दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र के लिए ` 21,479.20 करोड़ और सरकारी क्षेत्र के लिए ` 10,783.78 करोड़) है। जहां तक आरबीआई की शर्तों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का संबंध है, तो वर्तमान वर्ष के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन दिनांक 30.06.2016 को समाप्त तिमाही के दौरान किया गया है, जिसके तहत कंपनी से प्रावधान को चरणबद्ध ढंग से दिनांक 31.03.2016 को 0.30% से बढ़ाकर 31.03.2017 तक 0.35% तक करने की अपेक्षा है। तद्नुसार दिनांक 31.03.2017 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए प्रावधान प्रो-राटा आधार पर किया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण कंपनी के कर पूर्व लाभ में तिमाही और वर्ष के लिए क्रमशः ` 4.42 करोड़ और ` 79.69 करोड़ की कमी हुई है । जहां तक आर / आर / आर संबंधी ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का संबंध है, जिनके लिए आरबीआई की शर्तें लागू होती हैं, तो वर्तमान वर्ष के लिए लेखांकन नीति में परिवर्तन दिनांक 30.06.2016 को समाप्त तिमाही के दौरान किया गया है, जिसके तहत कंपनी से प्रावधान को चरणबद्ध ढंग से दिनांक 31.03.2016 को 3.50% से बढ़ाकर 31.03.2017 तक 4.25% तक करने की अपेक्षा है। तद्नुसार दिनांक 31.03.2017 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए प्रावधान प्रो-राटा आधार पर किया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण कंपनी के कर पूर्व लाभ में तिमाही और वर्ष के लिए क्रमशः ` 250.27 करोड़ और ` 415.80 करोड़ की कमी हुई है ।
4	दिनांक 01.04.2016 से आरबीआई की विवेकपूर्ण शर्तों के साथ लेखांकन नीति के संरेखण के कारण : (i) उद्धृत वर्तमान निवेश का मूल्यांकन पिछली नीति के अनुसार स्क्रिपवार के बजाए श्रेणी-वार आधार पर किया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण, चालू तिमाही और वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ क्रमशः ` 10.26 करोड़ और ` 92.06 करोड़ से बढ़ गया है; (ii) दिनांक 31.03.2016 तक 100% एनपीए प्रावधान के साथ '3 साल से अधिक के लिए संदेहास्पद' होने पर ऋण परिसंपत्ति को वर्गीकृत करने की नीति को @ 50% एनपीए प्रावधान के साथ हानि वाली परिसंपत्ति के बदले संदेहास्पद के रूप में परिसंपत्ति वर्गीकरण की प्रक्रिया को जारी रखते हुए प्रतिस्थापित कर दिया गया माना गया है । तदनुसार, आरबीआई की शर्तों के अनुसार, ऐसे ऋण खातों, जो वर्ष के दौरान 'तीन से अधिक वर्षों के लिए संदेहास्पद' के रूप में वर्गीकरण के लिए देय हो जाते हैं, के लिए प्रावधान किया गया है। लेखांकन नीति में इस बदलाव के कारण, चालू तिमाही के लिए पूर्व लाभ ` 43.82 करोड़ से कम हो गया है और वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में ` 707.80 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है।
5	दिनांक 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, कंपनी ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लेखांकन नीति में संशोधन किया है ताकि इसे भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए 'व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन पर दिशानिर्देश नोट' के साथ संरेखित किया जा सके जो 01.04.2016 से लागू हो गया है। उपर्युक्त मार्गदर्शन नोट में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की गणना या तो उचित मूल्य के आधार पर या हेज अकाउंटिंग के अनुसार की जानी चाहिए और कंपनी ने उचित मूल्य के आधार

	पर लेखांकन का विकल्प चुना है। तदनुसार, एएस -11 द्वारा कवर नहीं किए गए व्युत्पन्न अनुबंध, लेकिन जिन्हें मार्गदर्शन नोट के तहत कवर किया जाता है को निष्पक्ष मूल्य में परिवर्तन के साथ लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य के साथ मापा जाता है। मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार ` 74.35 करोड़ (` 39.35 करोड़ की आस्थगित कर देयता का निबल) की राशि को आरक्षित निधियों की अथशेष बकाया राशि में समायोजित किया गया है जो दिनांक 31.03.2016 तक अर्जित निबल राशि में ब्याज दर के बढ़ने के कारण उचित मूल्य (लाभ) में परिवर्तन के संचयी प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद, ब्याज दर बढ़ने पर उचित मूल्य लाभ (नेट) को लाभ और हानि के विवरण में बुक किया गया है। लेखांकन नीति में इस बदलाव के कारण, चालू तिमाही के लिए कर पूर्व लाभ में `85.62 करोड़ की कमी हुई और वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ में ` 178.15 करोड़ की वृद्धि हुई है।
6	ऐसे किसी उधारकर्ता, जिसे एक संदेहास्पद ऋण परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, के मामले में कंपनी ने इक्विटी शेयरों की प्रतिज्ञा की मांग की। तदनुसार, प्रमोटरों द्वारा प्रतिबद्ध प्रत्येक `10/- के 6,57,46,77 9 इक्विटी शेयरों को दिनांक 01.06.2016 को कंपनी को स्थानांतरित किया गया है। इन इक्विटी शेयरों को `1/- के मूल्य पर मान्यता दी गई है। इसके अलावा, पहले दिए गए ` 66.10 करोड़ तक के ऋण को उप-ऋण ऋण के रूप में आंशिक रूप से परिवर्तित किए जाने पर प्रत्येक ` 10/- के 6,61,00,000 इक्विटी शेयरों को दिनांक 06.06.2016 को कंपनी को आबंटित कर दिया गया है। कर्ज से परिवर्तित किए गए इस तरह के इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन के लिए लेखांकन नीति को शामिल करने के बाद इन शेयरों के मूल्य में कमी के लिए एक प्रावधान किए गए है। दिनांक 31.03.2017 को इन इक्विटी शेयरों का मूल्य `1/- के बराबर है।  लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण दिनांक 31.03.2017 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ क्रमशः शून्य और ` 46.27 करोड़ कम हो गया है।
7	दिनांक 15.04.2015 को कंपनी द्वारा उप मानक के रूप में वर्गीकृत की गई पुनर्गठित एक ऋण परिसंपत्ति के मामले में ऋणकर्ता ने दिनांक 17.06.2015 के आदेश के जरिए माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास से इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई पर अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया है। कंपनी ने परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में एक कानूनी दृष्टिकोण प्राप्त किया था, जिसके आधार पर ऋण परिसंपत्ति को पुनर्गठित उप मानक परिसंपत्ति के बजाय पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया और वर्ष के दौरान खाते में किए गए 339.99 करोड़ रूपए की राशि वाले एनपीए प्रावधान को उसी वर्ष में प्रत्यावर्तित किया गया है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है और अंतरिम स्टे जारी है । कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए आगामी कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर इसके अलावा, कंपनी द्वारा दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण को मानक के रूप में बनाए रखना जारी रखा और परियोजना की भावी प्रगति के उद्देश्य से चालू वर्ष में भी इसे

	जारी रखा है। दिनांक 30.06.2016 को कंपनी ने अंतरिम स्टे को हटाने के लिए याचिका दायर की है। उपर्युक्त याचिका सुनवाई के लिए लंबित है । पिछले वर्ष में उक्त खाता के पुन: बर्गीकरण के बाद, (i) दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार ` 413.03 करोड़ का ब्याज / आय अर्जित की गई और वसूल किए जाने के लिए शेष बनी हुई है, जिसे प्रत्यावर्तित कर दिया गया है ।  (ii) प्रावधान, जैसा कि मौजूदा परिसंपत्ति वर्गीकरण के आधार पर पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के आधार पर लागू किया गया है, जो 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार ` 163.17 करोड़ (31.03.2016 की स्थिति के अनुसार `148.82 करोड़) के रूप में है।  (iii) उपर्युक्त (ii) में बताए गए प्रावधानों पर विचार करने के बाद दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार (31.03.2016 की स्थिति के अनुसार `4,251.91 करोड़ के रूप में) ` 4,893.3 9 करोड़ के बकाया ऋण खाते को संदेहास्पद मानते हुए `815.50 करोड़ (पिछले वर्ष ` 276.37 करोड़) की राशि के प्रावधान को मान्यता नहीं दी गई है।
8	किसी उधारकर्ता के मामले में, कंपनी ने अनुमोदित सामरिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) पैकेज के अंतर्गत अपने ऋण को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया और दिनांक 23.02.2017 को कंपनी को प्रत्येक `10 / - के 27,50,00,000 इक्विटी शेयर आवंटित कर दिए गए हैं। दिनांक 31.03.2017 को समाप्त तिमाही और वर्ष में निवेश के मूल्य में कमी के प्रावधान की गणना `81.95 करोड़ के रूप में की गई है। कंपनी ने आरबीआई के एसडीआर नियमों के अनुसार चार कैलेंडर तिमाहियों में प्रावधान वितरित करने का विकल्प चुना है। तदनुसार, दिनांक 31.03.2017 को समाप्त तिमाही और वर्ष में `20.49 करोड़ के निवेश के मूल्य में कमी के लिए एक प्रावधान किया गया है। दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास उधारकर्ता की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 4.81% हिस्सा है।
9	कंपनी दीर्घावधि विदेशी मुद्रा वाली धन संबंधी मदों पर उनकी कार्यावधि के दौरान विनिमय संबंधी अंतर को ऋणमोचित करती है। इसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा धन संबंधी मद परिवर्तन अंतर खाता (एफसीएमआईटीडीए) के तहत ऋणमोचित डेबिट बैलेंस ` 647.56 करोड़ (दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार डेबिट बैलेंस ` 739.74 करोड़) है ।
10	डीपीई के दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अपेक्षा के अनुसार कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी सीएसआर नीति के अनुसार निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े कार्यकलापों में पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित किए गए कंपनी के और निबल कर पूर्व लाभ (पीबीटी) की कम से कम दो प्रतिशत राशि खर्च करना आवश्यक है। तद्नुसार कंपनी द्वारा दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान अपने सीएसआर कार्यकलापों में ` 168.11 करोड़ (पिछली संगत तिमाही के दौरान ` 157.93 करोड़) की राशि का व्यय किया गया है।

11	वर्ष के दौरान, भारत सरकार (जीओआई) ने सीपीएसई ईटीएफ म्यूचुअल फंड स्कीम के आगे फंड ऑफर (एफएफओ) के संदर्भ में डीआईपीएएम (निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग) के तहत कंपनी के पास धारित 3,82,17,338 इक्विटी शेयरों को सीपीएसई ईटीएफ (सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) के लिए स्थानांतरित कर दिया है। कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 67.80% से गिरकर 66.35% नीचे आ गई है।
12	सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 52 (4) के तहत जरूरी विवरण:

विवरण	31-03-2017	31-03-2016
(i) ऋण इक्विटी अनुपात	5.55	5.61
(ii) बकाया रिडीमेबल वरीयता शेयर	0.00	0.00
(iii) डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (` करोड़ में)	1,434.17	1,172.55
(iv) नेट वर्थ (` करोड़ में)	36,470.21	35,766.03

(v) कंपनी के दीर्घकालिक घरेलू ऋण कार्यक्रम (बैंक ऋण सहित) के लिए घरेलू रेटिंग एजेंसियों अर्थात सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए और सीएआरई द्वारा लगातार क्रमशः सीआरआईएसआईएल, एएए, आईसीआरए, एएए और सीएआरई एएए की सर्वोच्च रेटिंग दी जा रही है। कंपनी के अल्पकालिक घरेलू ऋण कार्यक्रम (बैंक ऋण सहित) को घरेलू रेटिंग एजेंसियों अर्थात सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए और सीएआरई द्वारा लगातार क्रमशः सीआरआईएसआईएल ए1+, आईसीआरए ए1+ और सीएआरई ए1+ की सर्वोच्च रेटिंग दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों अर्थात मूडीज, फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा कंपनी को दी गई दीर्घकालिक मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग क्रमशः बीएए3, बीबीबी- और बीबीबी- दी गई हैं, जो कि भारत के लिए संप्रभु रेटिंग के बराबर हैं।

वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(vi) कंपनी गैर-परिवर्तनीय बॉड इश्यू की श्रृंखला सहित विभिन्न लिखतों के माध्यम से धन बढ़ाती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने उधार को चुकाने में चूक नहीं की है। गैर-परिवर्तनीय रुपए मूल्यवर्ग बांड के संबंध में, ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए पिछली नियत तारीख 31.03.2017 थी।

13	कंपनी द्वारा जारी किए गए और 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार बकाया सभी सुरक्षित बांडों के लिए कंपनी की विनिर्दिष्ट अचल संपत्तियों और / या प्राप्य वस्तुओं पर प्रभार के रूप में उन्हें बंधक रखकर 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।
14	क. चालू तिमाही के दौरान पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी) की निम्नलिखित 3 सहायक कंपनियों को शामिल किया गया है : i) गोवा - तामनर ट्रांसमिशन लिमिटेड ii) शोंगटोंग करचम - वांग्टू ट्रांसमिशन लिमिटेड iii) बिजावर - विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड ख. चालू तिमाही के दौरान, पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड की निम्नलिखित 2 सहायक कंपनियों को सफल बोलीदाताओं को स्थानांतरित कर दिया गया है i) कोहिमा-मारियानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ii) मेदिनीपुर-जीरैट ट्रांसमिशन लिमिटेड

15	एनपीईएल (कंपनी का पूर्व संयुक्त उद्यम) के निदेशक मंडल ने दिनांक 28.10.2014 से कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन की योजना को मंजूरी दी थी। दिनांक 26.07.2016 को एनपीईएल के स्वैच्छिक परिसमापन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। कंपनी ने जुलाई 2016 में `1.21 करोड़ की राशि एनपीईएल के परिसमापक से अंतिम निपटान के रूप में प्राप्त की है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, `0.98 करोड़ के संचित प्रावधान को प्रत्यावर्तित कर दिया गया और ` 0.98 करोड़ के निवेश के निपटान पर नुकसान को मान्यता दी गई है।
16	व्यापार खंड की पहचान निदेशक मंडल और प्रबंधन ढ़ांचे को आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अपनाई जाने वाली की प्रणाली के अनुसार की जाती है। कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-17 'खंड रिपोर्टिंग' के संदर्भ में केवल प्राथमिक व्यापार फंड के रूप में माना जाता है। अतः इस संबंध में खंडात्मक रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।
17	कंपनी के परिणाम की तारीख को समेकित वित्तीय वर्ष में पीएफसी कंसल्टिंग लि., पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड, पॉवर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लि. (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां) के लेखापरीक्षित परिणाम की तारीख और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (संयुक्त उद्यम इकाई) के अनंकेक्षित परिणाम शामिल हैं।
18	दिनांक 30.09.2016 को समाप्त तिमाही के दौरान प्रत्येक `10/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए प्रत्येक `10/- के एक इक्विटी शेयर के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के बाद प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (बुनियादी और तनुकृत) को प्रस्तुत सभी पिछली अवधि के लिए समायोजित किया गया है।
19	दिनांक 31.03.2017 और 31.03.2016 को समाप्त तिमाही के लिए आंकड़ों में दिनांक 31.03.2017 & 31.03.2016 को समाप्त तिमाही के लिए लेखापरीक्षित आंकड़े दिनांक 31.12.2016 और 31.12.2015 को समाप्त नौ माह की अवधि के लिए अनंकेक्षित आंकडों के बीच संतुलित आंकड़े हैं।
20	आंकड़े दो दशमलव के दो अंको तक निकटतम करोड़ रुपये में राउंड ऑफ कर दिए गए हैं।
21	संवर्ती अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए आवश्यक होने पर पूर्ववर्ती अवधि के लिए आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध / पुनः वर्गीकृत किया गया।

	राजीव शर्मा
स्थान : नई दिल्ली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दिनांक : 29.05.2017	डीआईएन - 00973413

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन एल65910डीएल1986जीओआई024862

भाग II : 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्तियों और देनदारियों का विवरण

(` करोड़ में)

विवरण				को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन		को समाप्त वर्ष के लिए समेकित	
				31-03-2017 (अंकेक्षित)	31-03-2016 (अंकेक्षित)	31-03-2017 (अंकेक्षित)	31-03-2016 (अंकेक्षित)
क.	इक्विटी और देनदारियां						
	(1)	शेयरधारकों की निधियां					
		(i)	शेयर पूंजी	2,640.08	1,320.04	2,640.08	1,320.04
		(ii)	आरक्षित और अधिशेष निधियां	33,830.13	34,445.99	34,204.83	34,708.27
				36,470.21	35,766.03	36,844.91	36,028.31
	(2)	गैर-चालू देनदारियां					
		(i)	दीर्घकालिक ऋण	1,74,841.36	1,72,549.70	1,75,103.36	1,72,614.57
		(ii)	आस्थगित कर संबंधी देनदारियां (निबल)	250.51	302.06	247.55	301.96
		(iii)	अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	6,142.58	548.75	6,143.07	548.85
		(iv)	दीर्घकालिक प्रावधान	2,544.96	1,229.28	2,549.29	1,230.59
				1,83,779.41	1,74,629.79	1,84,043.27	1,74,695.97
	(3)	चालू देनदारियां					
		(i)	अल्पकालिक ऋण	2,400.79	7,571.57	2,543.48	7,571.57
		(ii)	दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	25,345.89	20,363.17	25,345.90	20,474.00
		(iii)	अन्य अल्पकालिक देनदारियां	8,420.17	7,500.77	8,592.95	7,564.86
		(iv)	व्यापारिक देयताएं	0.00	0.00	120.55	69.65
		(v)	अल्पकालिक प्रावधान	1,927.11	805.44	1,928.55	815.39

				38,093.96	36,240.95	38,531.43	36,495.47
			कुल	2,58,343.58	2,46,636.77	2,59,419.61	2,47,219.75
ख	परिपरिसंपत्तियां						
	(1)	गैर-चालू परिपरिसंपत्तियां					
		(i)	स्थायी परिपरिसंपत्तियां				
		क)	मूर्त परिपरिसंपत्तियां (निबल)	61.88	62.56	295.16	197.02
		ख)	अमूर्त परिपरिसंपत्तियां (निबल)	0.69	1.35	1.22	1.46
		ग)	विकसित हो रही अमूर्त परिपरिसंपत्तियां	0.00	0.16	105.44	46.63
		(ii)	गैर-चालू निवेश	2,265.60	2,266.73	1,819.64	1,819.23
		(iii)	) दीर्घ कालिक ऋण	2,00,333.01	2,00,036.08	2,00,938.25	2,00,380.71
		(iv)	अन्य गैर चालू परिपरिसंपत्तियां	5,450.62	314.98	5602.37	375.51
				2,08,111.80	2,02,681.86	2,08,762.08	2,02,820.56
	(2)	चालू परिपरिसंपत्तियां					
		(i)	चालू निवेश	1,325.53	410.74	1,325.53	410.74
		(ii)	नकदी और बैंक में बकाया राशियां	3,573.15	78.45	3,799.82	301.55
		(iii)	व्यापारिक प्राप्त्यिां	0.00	0.00	279.56	111.21
		(iv)	अल्पकालिक ऋण	5,959.20	3,803.96	5,902.90	3,792.38
		(v)	दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	33,876.81	33,622.15	33,704.77	33,634.42
		(vi)	अन्य चालू परिपरिसंपत्तियां	5,497.09	6,039.61	5,644.95	6,148.89
				50,231.78	43,954.91	50,657.53	44,399.19
			कुल	2,58,343.58	2,46,636.77	2,59,419.61	2,47,219.75